इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,इलाहाबाद
प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 12/06/2017 मा0उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरूद्ध चलाये जा रहें संयुक्त अभियान के क्रम में नबाब यूसूफ रोड क्रासिंग से लोहिया मार्ग क्लाइब रोड एवं एम0जी0मार्ग सुभाष चौराहा तक सड़क के दोनो तरफ पटरियों से अतिक्रमण हटाया गया। अभियान के दौरान 05 भटठी, 02 गुमटी, 03 टीन–सेड 10X80 वर्गमीटर का 01 ग्रीनरी हटाया गया तथा 06 रैम्प ध्वस्त किया गया एवं एक ट्रक पन्नी,बॉस–बल्ली जप्त करते हुये करैलाबाग स्टोर में जमा कराया गया। नगर निगम द्वारा रूपया 16000.00 का जुर्माना भी वसूला गया ।

इस कार्यवाही में प्राधिकरण की ओर से ओ0एस0डी0 श्री आलोक कुमार पाण्डेय, उप जिला अधिकारी करछना,नगर निगम जोनल अधिकारी 1,4,एवं 5 के अतिरिक्त पुलिस/पी0ए0सी0 बल,एवं एडीए प्रवर्तन दल मौजूद रहे।

इसी क्रम में आज अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत है–

जोन 01 जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 02 चालान,08 नोटिस,निर्गत की गयी 03 निर्माण सील तथा 02 निर्माण ध्वस्त की गयी।

जोन सं0 02 व 04 में 05 चालान 04 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन सं0 03 एवं 06 में 04 चालान 17 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन सं0 05 में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव द्वारा 02 चालान एवं 02 नोटिस निर्गत की गयी। इस प्रकार कुल 13 चालान, 31 नोटिस, जारी की गयी 03 निर्माण सील,02 निर्माण ध्वस्त किया गया।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

प्रतिलिपिः– सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेशित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाषित कराने का कष्ट करें।

12/06/17
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क